

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1652
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है
निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना

1652. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से कितने निरीक्षण और प्रमाणन (आई एंड सी) केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ये केन्द्र किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में इन आई एंड सी केन्द्रों के प्रचालन की स्थिति क्या है और इन केन्द्रों में किस प्रकार के निरीक्षण किए जा रहे हैं;

(ग) संपूर्ण देश में इन आई एंड सी केन्द्रों में अब तक कुल कितने वाहनों का परीक्षण किया गया है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है; और

(ङ) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा उपलब्ध करा दी गई है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में भूमि उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण एवं प्रमाणन (आई एंड सी) केन्द्र स्थापित करने की योजना संचालित करती है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में 28 निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) योजना के तहत स्वीकृत आई एंड सी केन्द्रों में से 7 आई एंड सी केन्द्र अर्थात् आई एंड सी, रोहतक, (हरियाणा), सूरत (गुजरात), नेलमंगला (कर्नाटक), नासिक (महाराष्ट्र), कटक (ओडिशा), झुझुली (दिल्ली), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) प्रचालनरत हैं। परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस के लिए परीक्षणों का विवरण केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 में निर्धारित है।

(ग) योजना के अंतर्गत प्रचालनरत आई.एंड.सी. केन्द्र वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, योजना के प्रारंभ से अब तक इन 7 प्रचालनरत आई.एंड.सी. केन्द्रों पर कुल 7,25,613 वाहनों का परीक्षण किया जा चुका है।

(घ) 28 आईएंडसी केन्द्रों की स्थापना के लिए कुल स्वीकृत लागत लगभग 410 करोड़ रुपये है। स्वीकृत लागत में सिविल लागत, टेस्ट लेन उपकरण, 2 वर्षों के लिए परिचालन लागत और वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद 5 वर्षों के लिए एएमसी शामिल है। योजना प्रावधानों के अनुसार किस्तों में राशि जारी की जाती है। स्वीकृत लागत में से सरकार ने अब तक 253 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ङ.) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएंडसी केन्द्र की स्थापना के लिए कुल आवश्यकता लगभग 3 एकड़ है और योजना प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाता है।

“निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना” के संबंध में श्री जी. लक्ष्मीनारायण द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1652 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	विजाग (विशाखापत्तनम)
3.	असम	गुवाहाटी
4.	बिहार	पटना
5.	चंडीगढ़	रायपुर कलां
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर
7.	गुजरात	सूरत
8.	हरियाणा	रोहतक
9.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
10.	जम्मू और कश्मीर	सांबा
11.	झारखण्ड	धनबाद
12.	कर्नाटक	बैंगलुरु
13.	केरल	कोच्चि
14.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
15.	महाराष्ट्र	नासिक
16.	मेघालय	शिलांग
17.	मिजोरम	साउथ हिलीमेन
18.	नगालैंड	दीमापुर
19.	ओडिशा	कटक
20.	पुडुचेरी	पुडुचेरी
21.	पंजाब	कपूरथला
22.	राजस्थान	रेलमगरा
23.	सिक्किम	रानीपूल
24.	तेलंगाना	हैदराबाद
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	झज्जूली
26.	उत्तराखण्ड	ऋषिकेश और कोटद्वार
27.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता